रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 570] नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 13, 2001/श्रावण 22, 1923
No. 570] NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 13, 2001/SRAVANA 22, 1923

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

(बीमा प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 अगस्त, 2001

का.आ. 775(अ).—केंद्रीय सरकार, साधारण बीमा कारबार (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 (1972 का 57) की धारा 17क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, साधारण बीमा (कर्मचारी) पेंशन स्कीम, 1995 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित स्कीम बनाती है, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :—**

(1) इस स्कीम का संक्षिप्त नाम साधारण बीमा (कर्मचारी) पेंशन (संशोधन) स्कीम, 2001 है।

(2) यह स्कीम 1 जनवरी, 1996 से प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

2. साधारण बीमा (कर्मचारी) पेंशन स्कीम, 1995 में, —

(i) पैरा 2 के खंड (त) के उपखंड (iv) का लोप किया जाएगा;

(ii) पैरा 54क के पश्चात् निम्नलिखित पैरा अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"54ख. पैरा 2 के खंड (ट) के परन्तुक में वर्णित ऐसे कर्मचारी को, जो 1-1-1996 को या उसके पश्चात् सेवा में था, पेंशन संबंधी फायदे;"

इस स्कीम में किसी बात के होते हुए भी पैरा 2 के खंड (ट) के परन्तुक के अन्तर्गत आने वाले ऐसे कर्मचारी के संबंध में जो 1 जनवरी, 1996 को या उसके पश्चात् सेवा में था, पेंशन संबंधी फायदों की संगणना, केंद्रीय सरकार के सेवकों को यथा लागू केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 और केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन संराशीकरण) नियम 1981 में अन्तर्विष्ट उपबंधों और केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर उनके अधीन जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार की जाएगी ;

परन्तु यह कि जहां ऐसा कोई कर्मचारी, जो 1-1-1996 को या उसके पश्चात् किन्तु इस स्कीम के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से पूर्व सेवानिवृत्त हुआ है या ऐसे कर्मचारी की मृत्यु की दशा में उसका कुटुम्ब, इस स्कीम के प्रकाशन से 90 दिन के भीतर, इस पैरा के उपबंधों से शासित

न होने का विकल्प अभिव्यक्त करते हुए लिखित में सूचना देता है, वहां उपर्युक्त पैरा, यथास्थिति, ऐसे कर्मचारी या ऐसे कर्मचारी के कुटुम्ब के संबंध में लागू नहीं होगा। इस उपबंध के अधीन एक बार प्रयोग किया गया विकल्प अंतिम होगा।

[फा. सं. 2(4)-बी.III/1998]

अजित एम. शरण, संयुक्त सचिव

स्पष्टीकारक ज्ञापन

1. केंद्रीय सरकार ने, केंद्रीय सरकार के सेवकों को यथा लागू पेंशन संबंधी फायदे, उपदान और छुट्टियां भुनाने को निगम के ऐसे अध्यक्ष या प्रबंध निदेशक या किसी कंपनी के ऐसे अध्यक्ष सह-प्रबंध निदेशक को 1-1-1996 से विस्तारित करने का अनुमोदन कर दिया है, जो साधारण बीमा (कर्मचारी) पेंशन स्कीम, 1996 द्वारा शासित हैं। तदनुसार, साधारण बीमा (कर्मचारी) पेंशन स्कीम, 1995 का संशोधन 1 जनवरी, 1996 से किया जाता है।
2. यह प्रमाणित किया जाता है कि अधिसूचना को भूतलक्षी प्रभाव दिए जाने से साधारण बीमा (कर्मचारी) पेंशन स्कीम, 1995 के पैरा 2 के खंड (ट) के परन्तुक के अन्तर्गत आने वाले, निगम या उसकी किसी अनुषंगी कंपनी के किसी कर्मचारी पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है।

पाद टिप्पण : मूल स्कीम अधिसूचना सं. का. आ. 585(अ) तारीख 28 जून, 1995 द्वारा प्रकाशित की गई थी और तत्पश्चात् निम्नलिखित द्वारा संशोधित की गई।

1. का.आ. सं. 475(अ), तारीख 3 जुलाई, 1996
2. का.आ. सं. 342 (अ), तारीख 22 अप्रैल, 1997
3. का.आ. सं. 461(अ), तारीख 18 जून, 1999
4. का.आ. सं. 1221(अ), तारीख 6 दिसम्बर, 1999
5. का.आ. सं. 590(अ), तारीख 22 जून, 2000.

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

(Insurance Division)

NOTIFICATION

New Delhi the 13th August, 2001

S.O. 775(E).—In exercise of the powers conferred by Section 17A of the General Insurance Business (Nationalisation) Act, 1972 (57 of 1972), the Central Government hereby makes the following scheme to further amend the General Insurance (Employees') Pension Scheme, 1995, namley :—

1. Short title and commencement.—

(1) This Schème may be called the General Insurance (Employees') Pension (Amendment) Scheme, 2001.

(2) The Scheme shall be deemed to have come into force on the 1st day of Januray, 1996.

2. In the General Insurance (Employees') Pension Scheme, 1995.—

(i) in paragraph 2, in clause (p), sub-clause (iv) shall be omitted;

(ii) after paragraph 54A, the following paragraph shall be inserted namely :—

"54B. Pensionary benefits to employee mentioned in proviso to caluse (k) of paragraph 2 who was in service on or after 1-1-1996.—

Notwithstanding anything contained in this Scheme, in respect of employee covered by the proviso to clause (k) of paragraph 2, who was in service on or after 1st January, 1996, the pensionary benefits shall be calculated in accordance with the provisions contained in the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972 and the Central Civil Services (Commutation of Pension) Rules, 1981, as applicable to Central Government servants and in accordance with the instructions issued by the Central Government thereunder from time to time .

Provided that where such an employee, who has retired on or after 1-1-1996 and before the date of publication, of this scheme in the Official Gazette or the family of such employee in the event of death of such employee, gives a notice in writing within 90 days of the publication of this Scheme, expressing an option not to be

governed by the provisions of this paragraph, then, the provisions of the above paragraph shall not apply in respect of such employee or the family of such employee, as the case may be. Option once exercised under this proviso shall be final."

[F. No. 2(4)-Ins. III/98]

AJIT M. SHARAN, Jt. Secy.

EXPLANATORY MEMORANDUM

1. The Central Government has accorded approval of extending the pensionary benefits, gratuity and encashment of leave, as applicable to Central Government servants, to Chairman or Managing Director of the Corporation or Chairman-cum-Managing Director of the Company who is governed by the General Insurance (Employees') Pension Scheme, 1995, with effect from 1-1-1996. Accordingly, the General Insurance (Employees') Pension Scheme, 1995 is amended with effect from 1st January, 1996.

2. It is certified that no employee of the Corporation or its Subsidiary Companies covered by the proviso to clause (k) of paragraph 2 of the General Insurance (Employees') Pension Scheme, 1995, is likely to be affected adversely by the notification being given retrospective effect.

Foot Note :—The Principal Scheme was published vide Notification No. S.O. 585(E) dated 28th June, 1995 and subsequently amended as under :

1. S.O. 475(E) dated 3rd July, 1996
2. S.O. 342(E) dated 22nd April, 1997
3. S.O. 461(E) dated 18th June, 1999
4. S.O. 1221(E) dated 6th December, 1999
5. S.O. 590(E) dated 22nd June, 2000.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.